अध्याय 3 - योजना

3.1 परिचय

जैसा कि पैरा 1.1 में चर्चा की गई है, 25 जून 2001 को वर्तमान पेंशन योजना की समीक्षा करने और परिभाषित अंशदान के आधार पर एक नवीन पेंशन प्रणाली शुरू करने के लिए एक मार्ग दर्शिका उपलब्ध कराने हेतु एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह (एचएलईजी) का गठन किया गया था। एचएलईजी ने अपने प्रतिवेदन में, जो फरवरी 2002 में प्रस्तुत किया गया था, प्रस्ताव दिया कि शुद्ध परिभाषित अंशदान (डीसी) योजना उपयुक्त नहीं है क्योंकि विभिन्न ब्याज दरों तथा जीवन प्रत्याशा के कारण अनिश्चित परिणाम का जोखिम पेंशनभोगी द्वारा वहन किया जाएगा। इस प्रकार, इसने मुद्रास्फीति सूचकांक से युक्त एक संकर योजना की अनुशंसा की, जिसमें कर्मचारियों और केंद्र सरकार के द्वारा बराबर धनराशि का अंशदान सयुंक्त आधार पर दिया जाएगा और कर्मचारियों को पेंशन के रूप में एक परिभाषित लाभ (डीबी) दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने उल्लेख किया कि एचएलईजी प्रतिवेदन और सरकारी निर्णय (23 अगस्त 2003) में उजागर किए गए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को या तो लागू नहीं किया गया था या विलम्ब से लागू किया गया था जिनका अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के साथ बाद के पैरों में विस्तृत वर्णन किया गया है।

3.2 एनपीएस लाभार्थियों के सेवा मामलों पर नियमों का निर्धारण (केंद्र सरकार के कर्मचारी)

01 जनवरी 2004 से एनपीएस[16] के लागू होने के साथ, सरकार ने स्पष्ट किया कि एनपीएस की अधिसूचना के प्रभाव की तारीख से एनपीएस के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को गैर-अंशदायी पेंशन लाभ उपलब्ध नहीं होंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनपीएस की शुरूआत से 15 वर्ष बाद भी, एनपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों के संबंध में सेवा शर्तों/सेवानिवृत्ति लाभों पर नियम केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के विचारों में मतभेद के कारण निर्मित नहीं किये गये जैसा कि निम्न वर्णित घटनाओं के अनुक्रम से स्पष्ट है:

---

[16] केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेन्शन सारांशीकरण) नियमावली, केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, सामान्य भविष्य निधि नियमावली एवं अशंदायी भविष्य निधि नियमावली में भी संशोधन किए गए।

- विधि कार्य विभाग (अगस्त 2016) ने संकेत दिया कि पीएफआरडीए अधिनियम के तहत नियमों/विनियमों को केवल पीएफआरडीए/डीएफएस द्वारा ही तैयार किया जा सकता है, हालाँकि डीएफएस इससे सहमत नहीं था और उसकी दृष्टि में संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत डीओपीपीडब्ल्यू और डीओपीटी नियम बना सकते थे। बाद में विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू और डीएफएस) अंततः इस निष्कर्ष पर पहुँचे (सितंबर 2016) कि डीओपीपीडब्ल्यू को केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तों एवं पेंशन लाभों से संबंधित नियम निर्मित करने चाहिए एवं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उक्त नियम किसी ऐसे मामले से सम्बद्ध न हो, जो विशिष्ट रुप से पीएफआरडीए अधिनियम के अंतर्गत आता हो और न ही किसी प्रावधान के विपरीत हों।

- एनपीएस को सुचारू रूप से लागू करने के लिए गठित समिति (अक्तूबर 2016) ने भी अपने प्रतिवेदन में एनपीएस[17] कर्मचारियों के पेंशन लाभों से संबंधित सेवा मामलों जैसे निलंबन, असाधारण अवकाश (अर्थात बिना वेतन के अवकाश) या चिकित्सा प्रमाण पत्र के अभाव में अनधिकृत अनुपस्थिति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदोच्युति/निष्कासन दंड को लागू करने की दशा में हकदारी, कर्मचारी द्वारा सेवा के दौरान सरकार को हुए आर्थिक नुकसान की वसूलियों, विभागीय या न्यायिक कार्रवाई के लम्बित मामलों, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदि के संबंध में पृथक नियमों की आवश्यकता को चिन्हित किया।

- डीओपीपीडब्ल्यू के दिनांक 5 मई 2009 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार उपदान (सेवाकाल में अशक्तता/मृत्यु होने की दशा में), अशक्तता पेंशन (सेवाकाल में अशक्तता की दशा में), पारिवारिक पेंशन (सेवाकाल में मृत्यु होने पर), अक्षमता पेंशन (कर्तव्य निर्वहन करते समय हुई विकलांगता पर) और असाधारण पारिवारिक पेंशन (कर्तव्य निर्वहन करते समय हुई मृत्यु पर) के लाभ को अनंतिम रूप से एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को उसी भाँति दिया जाएगा जैसे कि 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को दिया गया था। चूंकि उक्त लाभ अनंतिम थे, अतः पीएफआरडीए द्वारा बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार अंतिम भुगतान के समय समायोजन के अधीन थे।

---

[17] समिति- संघीय मंत्रिमंडल ने 29 जून 2016 को हुई अपनी बैठक में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के सुझावों के आधार पर प्रस्तावों पर विचार किया और सचिवों की समिति बनाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सेवानिवृत्ति और मृत्यु उपदान के लाभ एनपीएस कर्मचारियों पर उन्हीं नियमों और शर्तों के साथ लागू[18] किए गए थे जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों पर लागू थे। हालाँकि, अशक्तता पेंशन, पारिवारिक पेंशन, विकलांगता पेंशन और असाधारण पारिवारिक पेंशन के संबंध में नियम अभी तक निर्मित नहीं किये गये हैं।

डीएफएस ने अपने उत्तर में (मई 2019) कहा कि कार्य आबंटन नियम (एओबी),1961 के अनुसार, डीओपीपीडब्ल्यू केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित मामलों पर नीति बनाने व समन्वय के लिए जिम्मेदार था, जबकि डीओपीटी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के लिए जिम्मेदार था।

डीओपीपीडब्ल्यू ने एनपीएस कर्मचारियों की सेवा शर्तों के लिए प्रारुप नियमावली तैयार की और उसे 5 जून 2018 को डीओपीटी, डीओई, डीएफएस, सीजीए और पीएफआरडीए को इस अनुरोध के साथ परिचालित किया कि वे प्रारुप नियमावली के संबंध में अपनी टिप्पणी दें, साथ ही साथ यदि प्रारुप नियमावली में जोड़े जाने हेतु कोई अतिरिक्त मामले हों तो उसे भी सुझाएँ।

डीएफएस ने अपने उत्तर (दिसंबर 2019) में आगे सूचित किया कि डीओपीपीडब्ल्यू ने दिनांक 1 मई 2019 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा परिशोधित ड्राफ्ट एनपीएस सेवा नियमावली का प्रारुप परिचालित किया था और डीएफएस ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (मई 2020) कि डीएफएस ने नियमावली प्रारुप पर अपनी टिप्पणियाँ मार्च 2020 में ही अग्रसारित कर दी थीं। वर्तमान तिथि (मई 2020) तक इस संबंध में नियमावली अधिसूचित नहीं की गई है।

अनुशंसाः सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि सरकारी क्षेत्र के एनपीएस लाभार्थियों के सेवा मामलों से संबंधित नियम निर्मित किये जायें।

3.3 केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखांकन व्यवस्था

डीओई के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13 नवंबर 2003 के अनुसार, 1 जनवरी 2004 को या उसके पश्चात् विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले किसी स्वायत्त निकाय में नियुक्त होने वाले सभी नये कर्मचारी भी एनपीएस के अधीन आएँगे न कि इन संगठनों में विद्यमान पेंशन योजना के अंतर्गत।

[18] डीओपीपीडब्ल्यू के दिनांक 26 अगस्त 2016 के का.ज्ञा. के अनुसार

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, सीपीएओ को एनपीएस अंशदानों के अभिलेख रखने और लेखांकन के लिए अंतरिम सीआरए (01 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2008 तक) के रूप में नियुक्त किया गया। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि स्वायत्त निकायों के संबंध में, 2009 तक ऐसी, कोई व्यवस्था नहीं दी गई थी (जब नियमित सीआरए के साथ एनपीएस के अंतर्गत प्रथम सीएबी पंजीकृत हुआ था)। यह पाया गया कि इस अवधि में अभिलेख रखने और लेखांकन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी को न तो अंतिम स्वरूप दिया गया था और न ही अधिसूचित किया गया था तथा यह विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों में लगातार स्थानान्तरित होती रही जैसा कि नीचे वर्णित हैः

- डीईए ने स्वायत्त निकायों को उनकी स्वयं की अंतरिम कार्यप्रणालियों को तैयार करने और फिलहाल के लिए अंशदान को रखने की सलाह दी। तदोपरान्त, डीईए ने यह माना (मई 2005) कि संबंधित प्रशासकीय मंत्रालय अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी संबंधित स्वायत्त निकायों के लिए समान प्रक्रियाओं को तैयार कर सकते हैं; तथा
- डीईए ने बाद में पीएफआरडीए को सूचित (मई 2006) किया कि पीएफआरडीए स्वायत्त निकायों के लिये अभिलेख रक्षण व लेखांकन व्यवस्था तैयार कर सकता है।

डीएफएस ने अपने उत्तर (दिसंबर 2019) में स्वायत्त निकायों के लिए अभिलेख रक्षण और लेखांकन व्यवस्थाओं को तैयार करने के संबंध में असगंत दृष्टिकोण के संदर्भ में कुछ नहीं कहा और कहा कि सीजीए ने सुझाव (अक्तूबर 2004) दिया था कि अतंरिम अवधि में जब तक कि पूर्णकालिक सीआरए स्थापित नहीं हो जाता, स्वायत्त निकाय अपने अभिलेखों एवं अंशदानों को स्वयं अनुरक्षित कर सकते हैं। इस कार्य में सीपीएओ और सीजीए उनकी मदद करेंगे।

डीएफएस के उत्तर को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि जबकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अनंतिम व्यवस्थाएँ की गई थीं परंतु केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।

3.4 वार्षिक लेखा विवरण (31 मार्च 2008 तक)

3.4.1 केन्द्रीय सरकार

वित्त मंत्रालय (जीओआई) के दिनांक 7 जनवरी 2004 एवं 4 फरवरी 2004 के कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार सीपीएओ को प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक वार्षिक लेखा विवरण (एएएस) (प्रारंभिक शेष, मासिक कटौतियों का विवरण और तदनुसार सरकार द्वारा दिया गया अंशदान, अर्जित ब्याज और अंतिम शेष को

दर्शाते हुए) तैयार करना था और अभिदाताओं को एएएस जारी करना था। इसके अतिरिक्त सीपीएओ प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् शेष राशि (पीएओ-वार) का विवरण प्रधान एओ को भेजेगा जो मिलान के उद्देश्य से इस सूचना को सभी पीएओ को अग्रसारित करेगा।

पीएफआरडीए ने (फरवरी 2006) पेंशन अंशदानों के लेखांकन के महत्त्व और इसमें किसी तरह की शिथिलता की संभावना जिसके कारण कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है और सरकार के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, को उजागर किया। इसने यह भी सूचित किया कि दो वर्षों का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी एनपीएस के अंतर्गत किसी भी नवनियुक्त को, जो कि संख्या में 1,00,000 से अधिक हैं, एएएस प्राप्त नहीं हुआ था और यह भी कि सीपीएओ के पास लगभग 85 प्रतिशत से अधिक अभिदाताओं के संबंध में पूर्ण विश्वसनीय जानकारी नहीं थी।

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के चयनित डीडीओ/पीएओ के अभिलेखों के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि 40[19] चयनित डीडीओ के अंतर्गत चयनित 71 कर्मचारियों में से 31 डीडीओ के 55 कर्मचारियों को एएएस निर्गत नहीं हुआ (विवरण **अनुलग्नक III** में)

तालिकाः 3.1

कुल डीडीओ	**कुल डीडीओ जहाँ चयनित योग्य कर्मचारियों को एएएस प्राप्त नहीं हुआ**	**कुल डीडीओ जहाँ योग्य कर्मचारियों को एएएस प्राप्त हुआ**	**40 चयनित डीडीओ में कुल चयनित लाभार्थी**	**कुल चयनित कर्मचारी जिन्हें एएएस प्राप्त नहीं हुआ**	**कुल चयनित कर्मचारी जिन्हें एएएस प्राप्त हुआ**
40	31	09	71	55	16

इसके अतिरिक्त सीपीएओ की लेखापरीक्षा के दौरान एएएस की तैयारी एवं निर्गमन से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।

डीएफएस ने अपने उत्तर (दिसंबर 2019) में कहा कि सीजीए ने सूचित किया था कि सीपीएओ अपेक्षित अभिलेखों/फाइलों को ढूंढने का गंभीर प्रयत्न कर रहा है।

यह नोट किया जाता है कि अब एनएसडीएल, अभिदाताओं को मासिक एवं वार्षिक लेन-देन का विवरण भेजता है जिसमें अंशदान, अभिदाता की एनपीएस

[19] कुल चयनित 62 डीडीओ में से 22 डीडीओ में 01.01.2004 से 31.03.2008 के दौरान नमूने में या तो कोई भी कर्मचारी चयन के लिए योग्य नहीं था या डीडीओ के पास उक्त अवधि के लिए अभिलेख उपस्थित नहीं थे।

निधि का पीएफ-वार आबंटन, बाजार मूल्य, निवेश का वास्तविक मूल्य इत्यादि दर्शाया जाता है।

3.4.2 राज्य सरकार

राजस्थान सरकार (मार्च 2004 में) और झारखण्ड सरकार (दिसंबर 2004 में) ने अपने एनपीएस अभिदाताओं के लिए एएएस के प्रावधानों के संबंध में प्रारंभिक शेष, मासिक कटौतियों का विवरण और तदनुसार सरकारी अंशदान, अर्जित ब्याज, यदि हो और अंतिम शेष को दर्शाने के लिए समरूप अनुदेश जारी किए। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि राजस्थान में सभी 25 चयनित डीडीओ में एएएस उपलब्ध नहीं कराया गया और झारखण्ड में 20 डीडीओ में से 15 डीडीओ ने एएएस की प्राप्ति की पुष्टि नहीं की।

3.5 लीगेसी अंशदान

3.5.1 केंद्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग

3.5.1.1 आर्थिक कार्य विभाग (दिनांक 29 मार्च 2008 के अपने का.ज्ञा. द्वारा) ने एनपीएस में एकत्रित राशि (लीगेसी अंशदान[20]), के संबंध में ₹1165.39 करोड़ की राशि भारत सरकार के वर्ष 2007-08 के बजट से न्यासी बैंक को स्थानान्तरण करने को अनुमोदित किया। मार्च 2008 तक जीओआई ने इस राशि पर जीपीएफ की दर से ब्याज दिया। इस का.ज्ञा. के द्वारा यह इंगित किया गया कि मार्च 2008 के बाद ब्याज नहीं दिया जाएगा और अभिदाता-वार खाते माह अप्रैल, 2008 के भीतर ही सीआरए को स्थानान्तरित किये जाने थे।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने सीपीएओ से यह सुनिश्चित करने के लिए अभिलेख/जानकारी माँगी (अक्तूबर 2018) कि क्या सभी मंत्रालयों/विभागों ने अप्रैल 2008 तक अभिदाता-वार खाते स्थानान्तरित कर दिए थे, क्या सभी मंत्रालय/विभाग का.ज्ञा. में शामिल किए गए थे और क्या सभी मंत्रालयों से सूचना प्राप्त हुई थी और वह तिथि जब तक इनका मिलान किया गया था।

सीपीएओ ने उत्तर दिया (29 नवंबर 2018) कि लेखापरीक्षा के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उनके कार्यालय में कोई अभिलेख मौजूद नहीं था। अभिलेखों की गैर-मौजूदगी के कारण लेखापरीक्षा अंशदानों (देय ब्याज के साथ) के लेखांकन की सटीकता व पूर्णता एवं उनके न्यासी बैंक को समय से प्रेषण के संबंध में कोई आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका।

---

20 लीगेसी राशि, एनपीएस के लागू होने की तिथि से प्रथम नियमित अपलोड की तिथि तक बकाया अंशदान है।

डीएफएस ने सूचित किया (दिसंबर 2019) कि सीजीए ने सूचित किया कि संगत सूचना सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध होंगी। सीजीए का कथन स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीपीएओ को प्रत्येक कर्मचारी के लिए वार्षिक लेखा विवरण बनाना था एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में शेष धनराशि (पीएओ के अनुसार) का विवरण प्रत्येक प्रधान एओ को प्रतिवेदित करना होता था। यदि ये विवरण निर्गत किए गए होते तो ₹1,165.39 करोड़ की जमा राशि की सटीकता की लेखापरीक्षा में पुष्टि की जा सकती थी।

डीएफएस ने आगे स्वीकार किया (दिसंबर 2019) कि यह अत्यंत चिंता का विषय है कि सीजीए के पास कोई सूचना/एकत्रित सूचना इस संबंध में उपलब्ध नहीं थी कि कर्मचारियों के लीगेसी पेंशन अंशदानों को बाजार में लगाया गया है एवं उनके एनपीएस खातों को क्रेडिट किया गया है या नहीं। यह भी नोट किया गया कि उक्त मामले में सीजीए द्वारा तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए और अभिदाताओं को प्रकल्पित वित्तीय नुकसान के बदले उपयुक्त क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए ताकि पेंशन के भुगतान के संबंध में वे किसी हानि की स्थिति में न हों।

3.5.1.2 पूल खाते का निर्माण एवं संचालन

जब जून 2008 में सीआरए-एनएसडीएल तंत्र प्रारंभ हुआ, नोडल कार्यालयों (पीएओ/सीडीडीओ) ने कर्मचारी/नियोक्ता के अंशदानों (केन्द्र सरकार से संबंधित) को न्यासी बैंक को प्रेषित किया। इनमें से कुछ अंशदानों को सीआरए को संबंधित विवरण जैसे कर्मचारी का नाम, अंशदान से संबंधित अवधि आदि दिए बिना ही न्यासी बैंक को प्रेषित कर दिया गया।

ऐसे अंशदानों को एकमुश्त राशि के रूप में निवेश पूल खातों[21] में किया गया जब तक संबद्ध प्रैन में इनका स्थानांतरण लंबित था ताकि ऐसी निधियों पर प्रप्तियों की हानि से बचा जा सके। इन निधियों के अतिरिक्त पूल खाते में वे निधियाँ भी सम्मिलित थीं जो 30 अप्रैल 2012 तक अपूर्ण विवरणों के साथ प्राप्त हुई थीं।

लेखापरीक्षा ने इस संबंध में पाया किः

- 1 जनवरी 2019 को पूल शेष ₹17.35 करोड़ था और निवेश का मूल्य ₹40.68 करोड़ था जिनका मिलान विवरणों की कमी के कारण नहीं हो सका था और यह कर्मचारी के व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खाते (प्रैन) में

[21] पूल खाते का निर्माण 20 मार्च 2010 को किया गया। 1 मई 2012 को यह निर्णय लिया गया कि यदि निधियाँ सीआरए सिस्टम में अपलोड एससीएफ के संगत उचित विवरण के साथ प्राप्त नहीं हुई और निधियों का मिलान एवं बुकिंग नहीं हो सकी तो उन्हें वापस कर दिया जाएगा। साझा खातों में 1 मई 2012 से नए क्रेडिट बंद कर दिए गए।

जमा के लिए लम्बित थे। इस प्रकार न्यासी बैंक द्वारा 30 अप्रैल 2012 तक की अवधि में प्राप्त सभी निधियाँ लेखांकित नहीं थीं।

- एनएसडीएल-सीआरए के अनुसार, 30 सितंबर 2018 को 9,187 केंद्रीय सरकारी अभिदाता 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके थे जिनमें से 144 अभिदाताओं के संदर्भ में मिलान न की गई निधियों के कारण एससीएफ मिलान के लिए लंबित थे। इन 144 अभिदाताओं में से 27 अभिदाता, एनपीएस से बाहर हो चुके थे, 20 अभिदाता आंशिक (वार्षिकी के लिए लंबित) रूप से बाहर हो चुके थे और 14 अभिदाताओं ने बाहर होने के लिए ऑनलाइन आवेदन सीआरए सिस्टम में दर्ज किया था। हालाँकि, सीआरए ने इन प्रत्याहरण आवेदनों को निरस्त कर दिया था क्योंकि एससीएफ मिलान एवं बुकिंग के लिए लंबित थी। अतः इन अभिदाताओं के लिए एक पूर्ण आहरण आवेदन (एकमुश्त के साथ-साथ वार्षिकी) लंबित था। इस प्रकार कई सेवानिवृत्ति के मामले इन विवरणों के अभाव में रूके हुए थे।

डीएफएस ने उत्तर दिया (दिसंबर 2019) कि सीआरए-एनएसडीएल में स्थानान्तरण के समय यह मामले सीजीए द्वारा परिकल्पित किए गए थे और भिन्नता की दशा में मिलान के मुद्दे पर सीआरए को सम्बन्धित मुख्य लेखानियंत्रकों (सीसीए)/लेखानियंत्रकों (सीए) से बातचीत करनी थी। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि एनपीएस के कार्यान्वयन की निगरानी व पता लगाने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए वित्तीय सलाहकार की समिति का गठन किया गया था। डीएफएस ने आगे कहा कि डीओई को जिम्मेदारी तय करने एवं विहित तरीके से समितियों द्वारा कार्य न किए जाने की दशा में परिणाम निर्धारित करने की आवश्यकता है।

डीएफएस के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है कि सीपीएओ (डीओई को प्रतिवेदित करते हुए) को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक कर्मचारी के लिए वार्षिक लेखा तैयार करना था और शेष राशि का विवरण (पीएओ के अनुसार) प्रत्येक प्रधान एओ को प्रतिवेदित करना था जो सूचना के मिलान हेतु प्रत्येक पीएओ को अग्रसारित करता। यदि सभी अभिदाताओं को वार्षिक लेखा विवरण प्राप्त हो जाते तो पूल खाते के निर्माण की आवश्यकता नहीं रहती।

3.5.2 राज्य सरकारें, सीएबी और एसएबी

राज्यों, सीएबी और एसएबी के संदर्भ में लीगेसी आँकड़ों को अपलोड करने एवं लीगेसी अंशदानों को स्थानान्तरित करने के लिए पीएफआरडीए द्वारा कोई

समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। आगे, पीएफआरडीए लीगेसी राशि की मात्रा एवं इसके न्यासी बैंक को स्थानान्तरण की स्थिति से अनभिज्ञ था।

पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (मार्च 2019 तथा अप्रैल 2019) कि अपलोड या स्थानान्तरित की जाने वाली लीगेसी धनराशि की मात्रा कई कारकों जैसे कर्मचारियों की संख्या, नियुक्ति की तिथि, मूल वेतन, ऐसे कर्मचारियों की डीए और वेतन वृद्धि पर निर्भर थी और उक्त सूचनाएँ सम्बन्धित राज्य सरकार, सीएबी और एसएबी के पास उपलब्ध होंगी। पीएफआरडीए ने आगे कहा (दिसंबर 2019) कि लीगेसी आँकड़ों को अपलोड करने/लीगेसी अंशदानों के स्थानान्तरण हेतु समय-सीमा निर्धारित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की थी और एक विनियामक के रुप में इसने सरकारी नोडल कार्यालयों द्वारा लीगेसी निधियों को अपलोड करने में विलम्ब/ अपलोड नहीं करने के मामलों को समय-समय पर पत्रों, पुनरीक्षण बैठकों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों के द्वारा नियमित रूप से उठाया।

पीएफआरडीए के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है कि पेंशन अंशदानों के प्रेषण में विलम्ब और लीगेसी धन राशि का स्थानान्तरण न होने के कारण अभिदाताओं को प्राप्तियों में हानि, सेवानिवृत्ति या मृत्यु के कारण समय-पूर्व निकासी की दशा में पूर्ण हकदारी की प्राप्ति न होना, राज्य सरकारों की विधिक देयता बढ़ने के रुप में परिणत होगी। लेखापरीक्षा के लिए चयनित नमूनों में लीगेसी अंशदानों के स्थानान्तरण न होने/विलम्ब से होने के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की चर्चा पैरा 4.6 और 4.8 में की गई है।

अनुशंसाः सरकार को उन सभी प्रकरणों को अवश्य चिन्हित करना चाहिए जिनमें लीगेसी अंशदानों को न्यासी बैंक को प्रेषित नहीं किया गया और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इसे देय ब्याज व क्षतिपूर्ति के साथ प्रेषित किया जाए जिससे कि अभिदाता को हानि न हो।

3.6 पेंशन निधियों का चुनाव और योजना की श्रेणियाँ

जीओआई की अधिसूचना (22 दिसंबर 2003) में विभिन्न पेंशन निधियों द्वारा योजनाओं[22] की तीन श्रेणियों को प्रस्तुत करना, परिकल्पित किया गया। इसके

[22] योजनाओं की तीन श्रेणियाँ- क,ख एवं ग थी। विकल्प क, के तहत लगभग 60 प्रतिशत परि-संपत्तियां सरकारी कागजों के रुप में रहेंगी, 30 प्रतिशत निवेश श्रेणी के कॉरपोरेट बाँड के रुप में तथा 10 प्रतिशत इक्विटी में रहेगी। विकल्प ख में 40 प्रतिशत सरकारी कागजों के रुप में, 40 प्रतिशत निवेश श्रेणी के कॉरपोरेट बाँड के रुप में तथा 20 प्रतिशत इक्विटी के रुप में रहेंगी। विकल्प ग में पेंशन परिसंपत्ति का 25 प्रतिशत सरकारी कागजों में, 25 प्रतिशत निवेश श्रेणी के कॉरपोरेट बाँड के रुप में तथा 50 प्रतिशत इक्विटी के रुप में होगी।

अतिरिक्त, अभिदाता इनमें से किसी भी विकल्प में अपना पैसा आबंटित करने के लिए स्वतंत्र होगा और इसमें भाग लेने वाली इकाइयां उनके पिछले निष्पादन के बारे में आसानी से समझी जाने वाली जानकारी प्रदान करेंगी ताकि अभिदाता को सूचना के आधार पर जो योजना चुननी है, उसका चुनाव कर सके। एनपीएस निधियों के प्रबंधन पर सरकारी निर्णय (अप्रैल 2008) में भी संकेत दिया गया कि सरकार द्वारा चयनित निधि/परिसंपत्ति प्रबंधक यथा एसबीआई, एलआईसी और यूटीआई, एनपीएस अभिदाताओं के लिए योजनाओं का विकल्प सरकार द्वारा विहित निवेश प्रतिरुप के अन्तर्गत ही प्रदान करेंगें तथा अभिदाताओं के पास निधि/परिसंपत्ति प्रबंधकों तथा अनुमोदित निवेश योजनाओं का चुनाव करने का विकल्प होगा। 15वीं लोकसभा की वित्त पर स्थायी समिति (पैरा 56) के 40वें प्रतिवेदन (2010-11) में योजना के संचालन में और अधिक लचीलेपन की इच्छा दर्शायी गई और कर्मचारियों के पास आवधिक रूप में प्रतिरुप/योजना चुनाव के साथ-साथ निधि प्रबंधकों के चुनाव की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए।

केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की एनपीएस निधि का प्रबंधन, हालाँकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई निवेश पद्धति के अनुसार तीन सार्वजनिक क्षेत्र के पेंशन निधि प्रबंधकों नामतः एसबीआई, एलआईसी और यूटीआई तक सीमित था और सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के पास निजी क्षेत्र के अभिदाताओं (जिनके पास निवेश योजना तथा पीएफ चुनने[23] का विकल्प था) के विपरीत निवेश योजना चुनने का विकल्प नहीं दिया गया था। पीएफआरडीए का मानना था कि इसके परिणामस्वरुप, एनपीएस में केंद्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों के पास निजी अभिदाताओं (गैर-सरकारी) की तुलना में समान अवसर नहीं थे।

इस संबंध में डीएफएस ने स्पष्ट (अप्रैल 2013) किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को निवेश विकल्प चुनने की अनुमति दी जा सकती है लेकिन इस तरह के बड़े बदलाव को पीएफआरडीए द्वारा वित्तीय साक्षरता और जागरुकता अभियान के बाद ही किया जाना चाहिए था।

इसके बाद पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 20 की उपधारा 2(घ) ने निर्दिष्ट किया कि बहु-पेंशन निधियों और कई योजनाओं का विकल्प होगा। पीएफआरडीए ने भी डीएफएस के साथ इस मुद्दे (जून 2015, सितंबर 2015 और जनवरी 2016) को बार-बार उठाया। 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों में से एक यह भी थी कि सरकार, पीएफआरडीए के परामर्श से, मिश्रित निवेश के

---

[23] विकल्प-(i) 8 सरकारी तथा निजी निधि प्रबंधकों में से किसी एक पेंशन निधि को चुनने का (ii) इक्विटी में व्यक्तिगत कोष के अधिकतम 50 प्रतिशत के आवंटन के अतिरिक्त बिना किसी प्रतिबन्ध के तीन वर्गो यथा इक्विटी, कॉरपोरेट ऋण एवं सरकारी ऋण में अपनी निधियाँ आवंटित करने का (iii) वर्ष में एक बार पी.एफ. तथा तीनों परिसंपत्ति वर्गो में परिवर्तन करने का।

लिए विभिन्न विकल्प सुनिश्चित करे और अभिदाताओं को कई विकल्प प्रदान करे।

भारत सरकार ने दिनांक 31 जनवरी 2019 की अपनी अधिसूचना[24] के द्वारा अभिदाताओं को निम्न का चुनाव करने की अनुमति दीः (i) निजी क्षेत्र की पेंशन निधियों को सम्मिलित करते हुए कोई भी एक पेंशन निधि। (ii) सरकारी प्रतिभूतियों में 100 प्रतिशत निधि का निवेश करने का विकल्प। (iii) जीवन चक्र आधारित दो योजनाएँ[25]।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के पास 15 वर्ष से अधिक समय से अर्थात 01 जनवरी 2004 से 30 जनवरी 2019 तक पेंशन निधि और विभिन्न श्रेणियों की योजनाओं में कोई विकल्प नहीं था (जब तक सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की), जिसमें निहित था कि सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के पास अपना निवेश करने का कोई विकल्प नहीं था जबकि गैर-सरकारी अभिदाताओं के पास यह अवसर 01 मई 2009 से उपलब्ध था। प्रारम्भ से 31 दिसम्बर 2018 तक विभिन्न योजनाओं और निधि प्रबंधकों में निवेश के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्राप्तियों की दर 9.59 प्रतिशत से 9.91 प्रतिशत के बीच, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 9.50 प्रतिशत से 9.63 प्रतिशत के बीच तथा गैर-सरकारी अभिदाताओं के लिए 8.41 प्रतिशत से 11.43 प्रतिशत के बीच थी।

31 मार्च 2019 तक निजी क्षेत्र की तुलना में एनपीएस निधियों के प्रबंधन के संदर्भ में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए समान अवसर की कमी को स्वीकार करते हुए डीएफएस ने कहा कि (दिसंबर 2019) चूँकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों विशेष रुप से वर्ग 'ख' तथा 'ग' कर्मचारियों में उनके निवेशों के संबंध में निर्णय लेने के लिए वित्तीय साक्षरता की कमी है, अतः पीएफआरडीए को इस प्रकार के अभिदाताओं में जागरुकता तथा वित्तीय साक्षरता लाने हेतु कदम उठाने की सलाह दी गई है।

3.7 न्यूनतम सुनिश्चित प्राप्ति के लिए कोई योजना नहीं

सरकारी निर्णय (अगस्त 2003) के अनुसार उन क्रियाविधियों का मूल्यांकन करने का प्रस्ताव किया गया था जिनके माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लिए निजी वित्तीय बाजारों के द्वारा कुछ निवेश संरक्षण की गारंटी दी जा सकती है तथा

---

[24] 1 अप्रैल 2019 से लागू हुआ

[25] दो योजनाएं (i) 25 प्रतिशत अधिकतम एक्सपोजर टू इक्विटी के साथ कंजरवेटिव जीवन चक्र निधि-एलसी 25 (ii) 50 प्रतिशत अधिकतम एक्सपोजर टू इक्विटी के साथ मॉडरेट जीवन चक्र निधि-एलसी 50

व्यक्तियों द्वारा उसका भुगतान किया जा सकता है। ये सरकारी खजाने के लिए आकस्मिक देनदारियां पैदा नहीं करेंगें।

पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की धारा 20 की उपधारा 2(घ) अनुसार अभिदाताः

- के पास सरकारी प्रतिभूतियों में 100 प्रतिशत तक निधि निवेश करने का विकल्प उपलब्ध होगा; तथा
- यदि न्यूनतम सुनिश्चित प्राप्ति चाहता है तो उसके पास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित न्यूनतम सुनिश्चित प्राप्ति प्रदान करने वाली ऐसी योजनाओं में अपने धन का निवेश करने का विकल्प होगा।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएफआरडीए ने बीमांकक/बीमांकिक निवेश प्रबंधन फर्मों को एनपीएस के अन्तर्गत न्यूनतम सुनिश्चित प्राप्ति योजना (एमएआरएस) के अभिकल्पन व विकास हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति जारी करके एमएआरएस के अभिकल्पन की प्रक्रिया प्रारम्भ (फरवरी 2019) कर दी थी। हालाँकि, यह (दिसंबर 2019) एनपीएस अभिदाताओं के लिए उपलब्ध नहीं थी जो कि पीएफआरडीए अधिनियम का उल्लंघन था।

इस प्रकार पीएफआरडीए अधिनियम की अधिसूचना के पाँच वर्ष व्यतीत होने के बाद पीएफआरडीए ने न्यूनतम सुनिश्चित प्राप्तियाँ प्रदान करने वाली योजना अभिकल्पित/निर्मित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की तथा अभिदाताओं को एनपीएस के प्रारम्भ होने के 15 वर्षों के बाद भी ऐसी न्यूनतम सुनिश्चित प्राप्ति होना शेष है।

अनुशंसाः पीएफआरडीए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में, अभिदाताओं की सेवानिवृत्ति के पश्चात् सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एमएआरएस प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

3.8 प्रतिस्थापन दर

एचएलईजी के प्रतिवेदन के अनुसार, पहले टीयर की पेंशन पिछले 36 महीनों की औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत पर परिभाषित लाभ होगी। न्यूनतम अर्हक सेवा 20 वर्ष होगी और 33 वर्ष की अर्हक सेवा के बाद अधिवर्षिता के आधार पर सेवानिवृत्ति होने पर पूर्ण पेंशन देय होगी।

सरकारी निर्णय (अगस्त 2003) के अनुसार, यह आशा की गई थी कि वेतन (मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता) को 10 प्रतिशत अंशदान तथा नियोक्ता अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा समतुल्य अंशदान वर्ग 'क' कर्मचारियों के लिए अंतिम

परिलब्धि (मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता) का 56 प्रतिशत, वर्ग 'ख' कर्मचारियों के लिए लगभग 58 प्रतिशत, वर्ग 'ग' कर्मचारियों के लिए लगभग 59 प्रतिशत तथा वर्ग 'घ' कर्मचारियों के लिए लगभग 68 प्रतिशत प्रतिस्थापन दर प्राप्त कर सकता है। यह प्राक्कलन कुछ मान्यताओं पर आधारित थे जिनमें अन्य विषयों के साथ-साथ वर्तमान वेतन संरचना में कोई परिवर्तन नहीं, चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर मजदूरी (महंगाई भत्ते में वृद्धि) मुद्रास्फीति सूचकांक परिकलित करना, योजना क में निवेश करना (इसका अनुमान था कि लंबी अवधि में सरकारी प्रतिभूतियाँ 1.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की प्राप्ति की वास्तविक दर प्रदान करती हैं, कारपोरेट बॉंड पाँच प्रतिशत प्रतिवर्ष प्राप्ति की वास्तविक दर प्रदान करते हैं तथा इक्विटी 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वास्तविक दर लम्बी अवधि में प्रदान करती है); पुरानी पेंशन प्रणाली 33 वर्ष का सेवा काल पूरा हो जाने पर 50 प्रतिशत प्रतिस्थापन दर (सेवा के अंतिम 10 महीनों की औसत परिलब्धियों पर आधारित) प्रदान करती थी।

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में पाया गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों के परिसंघ ने हड़ताल की सूचना के साथ आर्थिक मामले विभाग (डीईए) को एक मांग पत्र सौंपा, मांग पत्र के संदर्भ में पीएफआरडीए ने (अक्तूबर 2007) सूचित किया कि परिसंघ द्वारा उठाई गई आशंकाएँ निराधार थीं। इसने यह भी कहा कि विशेषज्ञों द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत या अधिक प्राप्ति की वास्तविक दर अंतिम वेतन के (यदि बचत निवेश किया गया होता तो अंतिम तीन वर्षों के दौरान सांकेतिक प्राप्ति 14 प्रतिशत से 29 प्रतिशत तक होती) 50 प्रतिशत से अधिक पेंशन प्रदान करेगी।

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा ने (दिसंबर 2018 तथा जनवरी 2019) डीएफएस से स्पष्टीकरण माँगा कि क्या वर्ग क, ख, ग तथा घ कर्मचारियों के लिए प्रतिस्थापन दर किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा किए अध्ययन पर आधारित थी और मानदंड के साथ विशेषज्ञों द्वारा किए गए अध्ययन का विवरण भी माँगा। आगे, यह स्पष्टीकरण भी माँगा गया कि क्या 01 जनवरी 2004 के बाद वास्तविक प्रतिस्थापन दर का कोई मूल्यांकन किया गया था तथा क्या अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए इस तरह की प्रतिस्थापन दर के एक महत्वपूर्ण स्तर की पहचान की गई थी।

डीएफएस ने उत्तर दिया (मार्च 2019) कि मूल्यांकन दर की तुलना में वास्तविक प्रतिस्थापन दर का आवधिक मूल्यांकन और कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों में प्रतिस्थापन दर के एक न्यूनतम स्तर की पहचान का उल्लेख सरकारी निर्णय में नहीं था। डीएफएस ने आगे कहा कि (दिसंबर 2019) गिरती हुई वार्षिकी दरों,

बढ़ती जीवन अवधि तथा अर्थव्यवस्था की परिपक्वता के साथ-साथ ब्याज दर में अपरिहार्य कमी के साथ सरकारी निर्णय में परिकल्पित प्रतिस्थापन दरों को प्राप्त नहीं किया जा सकता।

प्रतिस्थापन दरों के मूल्यांकन के आधार से सम्बन्धित विवरण के अभाव में, लेखापरीक्षा, सरकारी निर्णय (अगस्त 2003) में उल्लेखित अपेक्षाओं को प्राप्त करने के विषय पर आश्वासन देने में असमर्थ है। इसके अतिरिक्त क्या सरकार द्वारा एचएलईजी की अनुशंसाएँ स्वीकार की गई थीं या नहीं, इसका कारण सहित स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

अनुशंसाः डीएफएस वार्षिकी दरों, लम्बी जीवन अवधि तथा ब्याज दरों पर विचार करते हुए न्यूनतम प्रतिस्थापन दर तय कर सकता है।

3.9 बीमांकक की नियुक्ति तथा योजना का बीमांकिक मूल्यांकन

एचएलईजी ने अनुशंसा की कि दीर्घ अवधि में निधि की व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए, दो वर्षों में एक बार बीमांकिक मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी। इसके बारे में आगे और बताया कि बीमांकिक मूल्यांकन के निष्कर्षों के आधार पर सरकार लाभ संरचना को तर्कसंगत बना सकती है या अंशदान की दर बढ़ा सकती है, जैसा प्रकरण हो।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों/प्रतिक्रियाओं के अनुसार पाया गया कि ऐसा कोई संकेत नहीं था कि क्याः

- उपरोक्त संदर्भित एचएलईजी अनुशंसाओं को स्वीकार किया गया या नहीं और उसके कारण;
- निधि/योजना का दो साल में एक बार बीमांकिक मूल्यांकन किया गया, तथा
- निधि/योजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए किसी अन्य विधि को अपनाया गया था।

डीएफएस ने (मई 2019) में उत्तर दिया कि एचएलईजी को डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा गठित किया गया था, जिसने फ़रवरी 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और समूह की अनुशंसा की स्वीकृति और कार्यान्वयन से संबंधित जानकारी डीएफएस अभिलेख से प्राप्त नहीं हो रही थी। हालाँकि, डीएफएस ने दो वर्षों में एक बार बीमांकिक मूल्यांकन (जैसा कि एचएलईजी प्रतिवेदन में अनुशंसा की गई थी) और निधि/योजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए किसी अन्य विधि को अपनाये जाने के संबंध में विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा निधि/योजना की व्यवहार्यता पर आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी। यह इस तथ्य के आलोक में महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीमांकिक मूल्यांकन किसी भी पेंशन योजना का आधार होता है तथा 31 जनवरी 2020 को प्रबंधन के तहत कुल परिसंपत्तियाँ ₹3,99,245.04 करोड़ की थीं, जिसमें से ₹3,41,815.87 करोड़ का एयूएम सरकारी क्षेत्र (केंद्र/राज्य सरकार) से संबंधित था।

डीएफएस ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2019) में कहा कि एनपीएस के प्रारम्भ में अपेक्षित परिणाम और परिकल्पित मानकों के परिप्रेक्ष्य में एनपीएस के निष्पादन की समीक्षा और आगे के लिए मार्ग विचाराधीन है। डीएफएस ने सूचित किया कि (मई 2020) वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने तथा एनपीएस के प्रारंभ के समय परिकल्पित लाभ के संबंध में एनपीएस के अंतर्गत हाल की प्रतिस्थापन दरों को ध्यान में रखते हुए प्रतिस्थापन दरों को अधिकतम व इष्टतम बनाने के लिये उपयुक्त उपाय करने हेतु बीमांकिक मूल्यांकन करने का इरादा रखता है।

3.10 नेशनल सेक्यूरिटीज डेपोजिट्री लिमिटेड की सीआरए के रूप में नियुक्ति

सरकारी निर्णय (अगस्त 2003) के अनुसार, नई प्रणाली में शामिल होने का विकल्प राज्य सरकार के पास भी उपलब्ध होगा तथा जब और जैसा वह तय करें नई प्रणाली नए भागीदारों को समायोजित करने में सक्षम होगी।

सीजीए के का.ज्ञा. (जनवरी 2004) तथा का.ज्ञा. (फरवरी 2004) के अनुसार जब तक एक नियमित सीआरए का गठन नहीं हो जाता, तब तक सीपीएओ एनपीएस के लिए सीआरए के रूप में कार्य करेगा। नेशनल सेक्यूरिटीज डेपोजिट्री लिमिटेड (एनएसडीएल) ने 1 जून 2008 से (पीएफआरडीए तथा एनएसडीएल के बीच नवंबर 2007 में अनुबंध हुआ) एक नियमित सीआरए के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा के लिए नमूने के रूप में चुने गए सात राज्यों ने 15 मई 2003 से 01 अप्रैल 2006 तक के दौरान एनपीएस को अपनाया था और एनएसडीएल के साथ किए गए समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे जिसका वर्णन नीचे तालिका में किया गया हैः

तालिका 3.2

राज्य का नाम	अधिसूचना की तिथि	अंगीकरण की तिथि	एनएसडीएल सीआरए के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि	पहला अंशदान अपलोड करने का माह
आँध्र प्रदेश	22.09.2004	01.09.2004	21.11.2008	दिसम्बर 2010
हिमाचल प्रदेश	17.08.2006	15.05.2003	24.12.2009	दिसम्बर 2010
झारखण्ड	09.12.2004	01.12.2004	25.10.2008	फरवरी 2010
कर्नाटक	31.03.2006	01.04.2006	20.01.2010	अप्रैल 2010
महाराष्ट्र	31.10.2005	01.11.2005	10.10.2014	मार्च 2015
महाराष्ट्र (अखिल भारतीय सेवाएँ)			02.03.2013	फरवरी 2014
राजस्थान	28.01.2004	01.01.2004	09.11.2010	नवम्बर 2011
उत्तराखण्ड	25.10.2005	01.10.2005	11.09.2009	अक्तूबर 2010

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच कोई समानता नहीं थी और राज्य सरकार के कर्मचारी एक नुकसानदेह स्थिति में थे, जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

- केंद्र में, मंत्रालयों/विभागों के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वे एनएसडीएल-सीआरए के साथ करार पर हस्ताक्षर करें। हालाँकि, राज्यों के लिए, संबंधित राज्यों के द्वारा एनएसडीएल-सीआरए के साथ समझौते के बाद ही अभिदाताओं के विवरण का पहला अपलोड तथा न्यासी बैंक को संबंधित लेन-देन का प्रेषण हुआ। परिणामस्वरूप, उपरोक्त राज्यों में अभिदाताओं के विवरणों का पहला अपलोड तथा अंशदानों का प्रेषण एनएसडीएल के सीआरए के रूप में कार्य करने के एक वर्ष पश्चात फरवरी 2010 में प्रारंभ हुआ।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों से भिन्न, राज्य सरकार के अंशदाताओं के प्रकरणों में, जो निधियाँ सीआरए प्रणाली में अपलोड किये गये एससीएफ के अनुरूप पूर्ण विवरण के साथ प्राप्त नहीं हुई थीं अथवा न्यासी बैंक को प्रेषित की गईं वे निधियाँ जिनका मिलान या बुकिंग नहीं हुई थी, को 30 अप्रैल 2012 तक पूल करने एवं निवेश करने के स्थान पर वापस/अस्वीकृत कर दिया गया।

डीएफएस का उत्तर (दिसम्बर 2019) निधियों के निवेश के संबंध में केंद्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच समानता के मुद्दे पर मौन था।